

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी—श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 5761

दिनांक - 07.07.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 कमलेश कुमार पुत्र
पूनमाराम जाति जाट
निवासी बॉण्डातालसर,
छीतर का पार तहसील
बाटाडू जिला बाड़मेर।

1 मानाराम 2 मूलाराम 3 हरजीराम 4
रुगनाथराम पिसरान हुकमाराम 5
गिरधारीराम 6 अणदाराम पिसरान सोनाराम
7 ठाकराराम पुत्र नेनूराम 8 पूर्णाराम 9
धर्माराम पिसरान नगाराम 10 नगाराम पुत्र
नारणाराम 11 हरचन्द्रराम 12 लिखमाराम
पिसरान बगताराम जाति जाट निवासी
बॉण्डातालसर, छीतर का पार तहसील बाटाडू
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 216/2025

दिनांक- 01/07/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बॉण्डातालसर पटवार क्षेत्र छीतर का पार तहसील
बाटाडू जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 399 रकबा 6.7713 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल
पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक
04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की
जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी

दिनांक- बाड़मेर

07.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 5762-65

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी छीतर का पार तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी कमलेश कुमार पुत्र पूनमाराम जाति जाट निवासी बॉण्डातालसर, छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण मानाराम पुत्र हुकमाराम वगैराह जाति जाट निवासी बॉण्डातालसर, छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर